

1105-म
22-8-09

प्रफक

जैकब थॉमस,
प्रमुख सचिव,
उमोरो शासन।

प्रधान	विवरण
कार्यपाल नं.	गोपनीय
माम	108 का
विवरण नं.	31-8-09
तिथि	

संख्या—2515/29-6-09-89 सा/09

ADM(G)/D.S.O.

रोडा में

- 1—जिलाधिकारी,
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, गोतापुर,
रायबरेली, सुल्तानपुर, गोरखपुर।
- 2—जिलापूर्ति अधिकारी,
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, गोतापुर,
रायबरेली, सुल्तानपुर, गोरखपुर।

द्वितीय वा बर्फ से बुलावा

जिलाधिकारी
बारेली 20-09

खाद्य एवं रसद अनुग्राम—6

लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त 2009

विषय— नेशनल ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के छ: ज़ंनपदों में ई-डिस्ट्रिक्ट के परियोजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकल राशन कार्ड निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सासनादेश संख्या—1393/29-6-09-89 सा/09, दिनांक 13-5-09 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का काढ़ करें।

2— उक्त शासनादेश के प्रत्येक—2 में नया राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में आधरण्ण आदि के लिए प्रक्रिया निम्नवत होगी—

(अ) राशन कार्ड आधरण्ण किया जाना— आवेदक राशन कार्ड आधरण्ण करने हेतु प्रार्थना पत्र एवं गूल राशन कार्ड कामन सर्विस सेन्टर में प्रस्तुत करेगा। कामन सर्विस सेन्टर का आपरेटर द्वारा कम्प्यूटर में उपलब्ध रुची से गिरण का मिलान करने के पश्चात आधरण्ण प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।

(ब) राशन कार्ड की बुलीकेट प्रति निर्गत किया जाना— आवेदक राशन कार्ड के नष्ट होने/खो जाने सम्बन्धी शपथ पत्र के साथ बुलीकेट राशन कार्ड निर्गत करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। कामन सर्विस सेन्टर का आपरेटर राशन कार्ड के नष्ट होने/खो जाने सम्बन्धी अभिलेखों से सन्तुष्ट होने के पश्चात पूर्ण निर्गत राशन कार्ड का विवरण अकित करते हुए बुलीकेट राशन कार्ड निर्गत करेगा।

(स) राशन कार्ड की आधारण्णिक प्रति निर्गत किया जाना— आवेदक मूल राशन कार्ड के राश्य अद्यावधिक विधे जाने हेतु अभिलेखीय राश्य एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। कामन सर्विस सेन्टर का आपरेटर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली

.....2/-

O.O. Notes

2— राशन कार्ड निर्गत कराने के लिए आवेदक को निम्नलिखित व्यवस्था के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा :—

- (क) आवेदक को अपने निकटतम् कामन सर्विस रोटर में जाकर सेण्टर के आपरेटर की एक निर्धारित प्रारूप (जो आपरेटर के पास निःशुल्क उपलब्ध रहेगा) पर राशन कार्ड निर्गत करने के लिए अनुरोध करना होगा।
- (ख) आवेदक ने अपनी पहचान एवं निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ग) कामन सर्विस रोटर के आपरेटर द्वारा रासी आवश्यक चिकित्सा आवेदक से प्राप्त करने के उपरान्त पंजीयन से सम्बन्धित ई-फार्म में भरा जायेगा।
- (घ) आवेदक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों को कामन सर्विस सेण्टर के आपरेटर द्वारा रक्केन वित्त्या जोयेगा।
- (घ) फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आपरेटर द्वारा फार्म आवेदक को पुष्टि के लिए प्राप्त कराया जायेगा।
- (ज) आवेदक द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी तथा फार्म की प्रविष्टियाँ राहीं पायी जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगायेगा।
- (झ) तदुपरान्त कामन सर्विस रोटर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवश्यकतानुसार राशन प्राधिकारी (नगरीय क्षेत्रों में जिलापूर्ति अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड अधिकारी) को प्रेषित किया जायेगा, जो प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करेंगे।
- (ञ) प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न अभिलेखों वी वैधता/पूर्णता आदि की जाँच करके नगरीय क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी जाँच अर्थात् प्रस्तुत करेंगे।
- (ट) औवेदन पत्रों के निस्तारण में यदि विलम्ब होता है तो Escalation Matrix के अनुसार व्यवहरित होगा।
- (ठ) प्राप्त/पंजीकृत आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय/जारी राशन कार्ड भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर व्यवस्था द्वारा अधिकृत होकर आवेदक को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ड) उपर्युक्त व्यवस्था प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए उसका सारलीकरण भाव करने के लिए की गयी है। राशन कार्ड निर्गत करने हेतु अन्य शर्तें व नियम पूर्ववत् रहेंगे।

3— उल्लेखनीय है कि पिंगाम द्वारा रांचालित लक्षित रार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्डों को प्रतिगाह खायाज्ञ एवं आवश्यक वर्तुयें उपलब्ध करायी जाती हैं। यह शास्त्र विभाग की गहलाकाशी एवं शीर्ष प्राथगिकतांप्राप्त योजना है जिसमें

पारदर्शिता तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खात्यान्मों के उठान एवं वितरण तथा कोटेदारों की स्थिति से सम्बन्धित राशनओं को प्राप्त कर सकता है।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का काष्ट करें।

भवदीय,

(जैकब थोमस)

प्रमुख राधिव।

संख्या-1393(1) / 29-6-09 राधिवार्षि

प्रिलिपि गिनतिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख राधिव, आई०टी० एवं इलेवट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शारान।
- 2- आयुक्त, खाद्य एवं रसायन विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर एवं फैजाबाद मण्डल।

आज्ञा से,

(जैकब थोमस)

प्रमुख राधिव।

शासन को प्रसार-३ में बद्य राज्य के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। इसी क्रम से अधिकार आदि के विवरणों में विवरण दिया गया है।

प्रसार-३ में विभिन्न विभागों के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। इन विभागों के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। इन विभागों के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। इन विभागों के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है।

शासन कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। इन विभागों के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। इन विभागों के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। इन विभागों के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। इन विभागों के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है।

(1) शासन कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाना। इन्हें विभिन्न विभागों के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाना। इन्हें विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाना।